यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

ल संख्या:– 200 / 2021 निर्णय दिनांक :–28.10.2022

उनवानी दावा :

1. मोहन पुत्र गोकुल जाति गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी, जिला–टोक राज0
2. हेमराज पुत्र गोकुल जाति गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी, जिला–टोंक राज०
3. बाबू पुत्र गोकुल जाति गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी, जिला–टोक राज०
4. सोहनी पुत्री गोकुल जाति गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
5. लोडकी पत्नि गोकुल जाति गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी, जिला टोंक राज०
6. श्योजी पुत्र रामनारायण जाति गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी,जिला–टोंक राज०
7. किशकिन्धा पुत्री रामनारायण जाति गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
8. काली पुत्री रामनारायण जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
9. सोभाग पुत्री रामनारायण जाति गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
10. फूमा देवी पत्नि रामनारायण गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
11. महेन्द्र पुत्र माता प्रेम पुत्री रामनारायण गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
12. मनराज पुत्र माता प्रेम पुत्री रामनारायण गूर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०

बनाम

1. छीतर लाल पुत्र सुखदेवा जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. केलाराम पुत्र सुखदेवा जाति रेगर निवासी मुगलानी हाल निवास दूनी, तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
3. हीरालाल पुत्र कजोडिया जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
4. मोती पुत्र कजोडिया जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज०
5. अनिल पुत्र दुर्गालाल जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
6. मंयक पुत्र दुर्गालाल जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
7. ~~सेडिया पुत्र किशना जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज०~~

7/1 हरिराम पुत्र रोडिया जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०

8. शंकर पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी मुगलानी हाल निवास आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज०
9. राजेश पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी मुगलानी हाल निवास आवा तहसील दूनी जिला टोंक राज०
10. बद्रीलाल पुत्र कजोडिया जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील जिला–टोंक राज०
11. गोपाल पुत्र कजोडिया जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज०
12. छोटूलाल पुत्र कजोडिया जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला–टोंक राज०
13. राजेन्द्र पुत्र कजोडिया जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज०
14. प्रेमबाई पुत्री कजोडिसा पत्नि प्रभु जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज०
15. सीमा पुत्री कजोडिया पत्नि भानू प्रताप जाति रेगर निवासी मुगलानी हाल निवासी टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला–टोंक राज०
16. रिंकू पुत्री दुर्गालाल पत्नि खेमराज जाति रेगर निवासी मुगलानी हाल निवासी नापाखेडा तहसील सावर जिला–अजमेर राज०
17. चम्मूदेवी पत्नि दुर्गालाल जाति रेगर निवासी मुगलानी तहसील दूनी, जिला–टोंक राज०

18. कैलाशी पुत्री नारायण पत्नि छीतरलाल जाति रेगर निवासी मुगलानी हाल निवास घारदडी तहसील नेनवा जिला बून्दी राज०
19. मीरा पुत्री नारायण पत्नि रामलाल जाति रेगर निवासी मुगलानी हाल निवासी आंवा तहसील दूनी जिला–टोंक राज० ।
20. रोशन पुत्री नारायण पत्नि बनवारी जाति रेगर निवासी मुगलानी हाल निवासी जलसीना तहसील दूनी, जिला–टोंक राज०
21. कमल पुत्र माता काली पिता बालू जाति रेगर निवासी बिशनपुरा तहसील दूनी, जिला–टोंक राज०
22. नीतू पुत्री माता काली पिता बालू जाति रेगर निवासी बिशनपुरा तहसील दूनी, जिंला–टोंक राज० ।
23. प्रियंका पुत्री माता काली पिता बालू जाति रेगर निवासी बिशनपुरा तहसील दूनी, जिला–टोंक राज०
24. तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी, जिला–टोंक राज०

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रामदेव वर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 ता 6
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3, 7/1, 8 ता 23
तहसीलदार दूनी
अप्रार्थीगण संख्या 24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी ख. नं. 402 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजी पर काश्त करने व आने जाने के लिए हमारे पास (प्रार्थीगण) कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 402 रकबा 1.13 है० वाके ग्राम मुगलानी एवं खसरा नं० 265 गै०मु० आबादी में बने हुए रास्ते के मध्य अप्रार्थीगण नं० 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 406 रकबा 0.15 है०. अप्रार्थीगण नं० 3 ता 9 की भूमि खसरा नं0 408 रकबा 0.21 है०, खसरा नं० 408/469 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम मुगलानी स्थित है। उक्त खसरा नम्बर पर अप्रार्थीगण नं० 1 से 9 काबिज काश्त है उक्त भूमि खसरा नं0 406, खसरा नं0 408 व खसरा नं0 408/469 के पूर्वी दिशा की तरफ 13 फिट चौड़े रास्ते से होकर कदीमी वर्षो से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 402 में आते जाते रहे तथा कृषि कार्य करते रहे है। प्रार्थीगण मात्र उक्त रास्ते से ही अपनी जोत की भूमि पर आते जाते रहें है। उक्त खसरा नं0 406, खसरा नं० 408 व खसरा नं0 408/469 में प्रार्थीगण को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक व सुलभ है। प्रार्थीगण की भूमि व गै०मु० आबादी भूमि में बने हुए रास्ते के मध्य अप्रार्थीगण नं० 1 ता 9 की भूमि में से प्रार्थीगण को रास्ते दिये जाने पर सबसे

दूरी पड़ती है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए खसरा नं0 406. सरा नं0 408, व खसरा नं0 408/469 पर अप्रार्थी नं० 1 ता 9 काबिज काश्त होने से आने से रोकते है, तथा रास्ते का अवरूद्ध करते रहते है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण नं० 1 ता 9 को उक्त रास्ता चाहने बाबत पारम्परिक सहमति से कहा परन्तु अप्रार्थी नं० 1 ता 9 सहमत नहीं हुये। प्रार्थीगण को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने से रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी रेट के हिसाब से कीमत अदा करने के लिए तैयार है। जमाबन्दी खसरा नं0 408, व खसरा नं0 408/469 में इन्द्राज खातेदार कजोडिया, व नारायण की मृत्यु हो चुकी है। मृतक कजोडिया के वारिस अप्रार्थी नं0 3 ता 4 व 10 ता 15 है व मृतक कजोडिया के 1 पुत्र दुर्गालाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस अप्रार्थी नं0 5 ता 6 व 16 ता 17 है। मृतक नारायण के वारिस अप्रार्थी नं0 8 ता 9 व 18 ता 20 है, मृतक नारायण के एक पुत्री काली की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस 21 ता 23 है, को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। उक्त भूमि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकारी में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 402 रकबा 1.13 है0 भूमि वाके ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना तहसील दूनी जिला–टोंक पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण नं० 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 406 रकबा 0.15 है0, अप्रार्थीगण नं0 3 ता 9 की भूमि खसरा नं0 408 रकबा 0.21 है०, खसरा नं० 408/469 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना में से पूर्वी दिशा की तरफ 13 फिट चौड़ा रास्ता/नया मार्ग वैकल्पिक रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3, 7/1, 8 ता 23 के बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव वर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। जवाब इस प्रकार हैः– प्रा0पत्र का चरण न० 1 गलत है स्वीकार नही है, प्रार्थीगण के पास पहले से ही वेकल्पिक रास्ता मौजूद है, तथा उसी में होकर वर्षो से आते जाते रहे है, ख0 न0 406, 408, व 408/469 मे होकर कभी भी प्रार्थीगण के खेत ख0 न0 402 पर आने–जाने का रास्ता नही रहा । प्रार्थीगण को धारा 251 ए के तहत नया रास्ता प्रदान करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती इस कारण प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है । प्रा. पत्र का चरण न0 2 गलत है स्वीकार नहीं है, प्रार्थीगण ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवयश्कता नही है तथा यह ख0 न0 402 पर जाने के लिऐ सुविधाजनक रास्ता चाहते है जोकि धारा 251–ए के तहत स्वीकार किये जाने योग्य नही है। ख. नं. 402 पर आने–जाने के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है। परन्तु प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की भूमियो को नष्ट करने के लिऐ उनमे होकर नया रास्ता बनाना चाहते है इस कारण प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है । ख0 न0 406, 408, 408/469, मे होकर कभी भी रास्ता नहीं

तथा इन भूमियों में होकर प्रार्थीगण का कभी भी आवागमन नही रहा तथा राजस्व रिकोर्ड तथा मौके पर तीनो नम्बरो मे होकर रास्ता नहीं है, प्रार्थीगण की भूमि व गैर मुमकिन आबादी भूमि मे बने हुऐ रास्ते के मध्य प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की भूमि में होकर रास्ता दिया जाना किसी प्रकार न्यायोचित नही है तथा इसमें होकर रास्ता देने पर यदि दूरी कम पडती है तो यह अनुतोष सुविधाजनक तथा सुलभ रास्ता बाबत होने से प्रार्थनापत्र धारा 251–ए– चलने योग्य नहीं है । प्रा० पत्र का चरण न0 4 गलत है स्वीकार नहीं है, प्रतिपक्षीगण ख0 न0 406, 408, तथा 408/469 ग्राम मुगलानी तहसील दूनी के रिकॅर्डेड खातेदार है तथा काबिज काश्तकार है, यह कृषि योग्य भूमियां है, गैर मुमकिन आबादी भूमि है जिसमे की भी आने–जाने का रास्ता नहीं रहा, परन्तु प्रार्थीगण नया रास्ता कायम करना चाहते है जिसका उनको अधिकार नही है, प्रार्थीगण ने तथ्य छिपाकर झूठा प्रा. पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र वर्णित अभवचन से ही प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है । प्रा0पत्र का चरण न०. 5 गलत है स्वीकार नही है । अप्रार्थी स० 1 ता 9 ख० न० 406, 408, व 408/469 में होकर रास्ता देने के लिऐ कभी भी सहमत नही है तथा भविष्य में भी सहमत नही है इस कारण प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है । प्राणपत्र का चरण नं0 5 गलत है स्वीकार नहीं है, प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है । पत्र का चरण नं0 6 गलत है स्वीकार नही है, ख० न० 406, 408/469 के खातेदार कजोडिया व नारायण की मृत्यु होना तथा कजोडिया के अप्रार्थी स० 1 व 3 व 4 तथा दुर्गालाल की मर चुका है तथा यह कथन किया है कि नारायण के वारिस अप्रार्थी संख्या 8 व 9 है । उपरोक्त व्यक्तियों को गलत रूप से वारिस बनाकर प्रार्थनापत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है । प्रा.पत्र का चरण नं0 7 गलत है स्वीकार नही है ।अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 24 की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थीगण को स्वयं की आराजी पर पहुँचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते का आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण की आराजी तक पहुँच मार्ग हेतु निम्नानुसार रास्ता प्रस्तावित हैः–

क० स0	ख. नं.	चौ. x लं.	=	क्षैत्रफल
1.	408/469	4 मी. x 19 मी.	=	76 वर्ग मी.
2.	408	4 मी. x 18 मी.	=	72 वर्ग मी
3.	406	4 मी. x 28 मी.	=	112 वर्ग

यानि कुल 4 x 65 = 260 वर्ग. मी.

प्रस्तावित रास्ते की कृषि भूमि की वर्तमान डी.एलसी 360562/–रु० प्रति हैक्टेयर है। दुगुनी दर से प्रतिकार राशि 18750/– रूपये है। ख. नं. 402 आवेदक मोहन पुत्र गोकल जाति गुर्जर वगै0 के नामदर्ज रिकार्ड खातेदारी है। प्रार्थी 408/469, 408, 406 में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा सीट मे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य

बिजली का पोल व अस्थायी तिरपाल ढक कर बकरियों के लिये छाया कर रखी है। प्रार्थीगण रास्ता दिये जाने के लिये सहमत नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, ट्रेस नक्शा, मय, जमाबन्दी सलग्न कर, मय अभिशंषा रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अतः रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस कथन किया कि प्रार्थी वेकल्पिक रास्ते से आते जाते है। रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के 402 मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1, 4 ता 6 ने अन्य कोई रास्ता विधिवत तरीके से नहीं बताया है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 402 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में एक बिजली का पोल व अस्थायी तिरपाल लगा रखा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व लाल स्याही से दर्शित नक्शा ट्रेस अनुसार वाके ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना तहसील दूनी के खसरा नम्बर की ख. नं. 408/469 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 19 मीटर अर्थात 76 वर्ग मीटर, ख. नं. 408 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 18 मीटर अर्थात 72 वर्ग मीटर व ख. नं. 406 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 28 मीटर अर्थात 112 वर्ग मीटर, कुल क्षैत्रफल 260 वर्ग मीटर होगा, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 360562/– रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार कुल क्षैत्रफल 260 वर्गमीटर अर्थात 0.026 है0 की डी.एल.सी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 18750/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। यदि रास्ते में बिजली का खम्भा है तो उसको एकतरफ लगवाने का खर्च प्रार्थीगण वहन करेंगे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 23 को उसके हिस्से अनुसार संदाय करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली